न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01 आबूरोड, जिला सिरोही ।

पीठासीन अधिकारी : **कुलदीप सूत्रकार RJS**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक निगरानी सँख्या : 25/2026
सी.आई.एस.सँख्या : 25/2026

01– रोहित पुत्र श्री किशोर सोनी, आयु बालिग, निवासी सुरतगढ, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
..... प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी आबूरोड ।
..... अप्रार्थी/गैर निगरानीकर्ता

दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध आदेश दिनाँक 23.06.2026 जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड जिला सिरोही द्वारा प्रकरण सँख्या 247/2026 पुलिस थाना आबूरोड सदर में पारित किया गया ।

उपस्थिति :–
01– श्री गोविंद परमार, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से ।
02– विद्वान अपर लोक अभियोजक, अप्रार्थी/गैर–निगरानीकर्ता की ओर से ।

आदेश

दिनाँक : 13.07.2026

01– हस्तगत निगरानी प्रार्थी/निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय (अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड) द्वारा पारित आदेश दिनाँक 23.06.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है कि :–

"प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वाहन सँख्या GJ09BB6415 को डोडा चुरा परिवहन करते समय जब्त किया गया था, जो गंभीर प्रकृति के अपराध में संलिप्त है। अनुसंधान अधिकारी ने भी सुपुर्दगी पर वाहन को छोडने में आपत्ति व्यक्त की है, अतः तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया।"

02– प्रार्थी की ओर से तर्क दिया कि उनके द्वारा डोडा चुरा का परिवहन नहीं किया जा रहा था। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। जब्तशुदा वाहन की पुलिस को आवश्यकता नहीं है। प्रकरण के निस्तारण में लंबा समय लगेगा। सुना गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण संख्या 247/2026 पुलिस थाना आबूरोड सदर में अनुसंधान लंबित है। प्रकरण के तथ्य अनुसार दिनांक 26.05.2026 को दयानंद पैराडाइस स्कुल आबूरोड के सामने समय 07.30 पीएम पर की गई नाकाबंदी में वाहन सँख्या GJ09BB6415 में 47 ग्राम पिसा हुआ डोडा चुरा परिवहन करते हुए चालक रोहित को पाया जाकर प्रकरण में इस्तेमाल कार जब्त की गई तथा उक्त डोडा चुरा परिवहन करने का कोई अनुज्ञा पत्र अभियुक्त के पास नहीं पाया गया।

03– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया, अनुसंधान पत्रावली तथा निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2003 कि०लॉ०रि० (एस.सी.) 103 सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य द्वारा एन डी पी एस एक्ट के तहत जब्तशुदा मादक पदार्थ व वाहनों के निस्तारण बाबत् महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिये गये है किन्तु किमिनल अपील नं0 87/2025 Bishwajit Dey Vs The State of Assam आदेश दिनांक 07.01.2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अम्बालाल देसाई तथा Sainaba के प्रकरणों का उल्लेख करते हुये पैरा संख्या 29 एवं 30 में प्रथम दो परिदृश्य की स्थिति यथा जहां वाहन स्वामी वह व्यक्ति हो

जिसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया गया हो एवं वाहन स्वामी द्वारा Hire किये गये एजेन्ट जैसे चालक, क्लीनर के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया हो तो जब्तशुदा वाहन को वाहन मालिक–अभियुक्त को सुपुर्दगी पर नहीं देने के संबंध में निम्न मत व्यक्त किया है– 'Consequently, it is only in the first two scenarios that the vehicle may not be released on superdari till reverse burden of proof is discharged by the accused– owner.'

हस्तगत प्रकरण में वाहन का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी-अभियुक्त रोहित होकर मादक पदार्थ भी उसी के स्वामित्व के वाहन पर उसी के कब्जे से बरामद किया जाना जाहिर आता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में लिये गये आधारों को ही आधार मानते हुये एवं प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 बीएनएसएस अस्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सँख्या GJ09BB6415 प्रार्थी-अभियुक्त को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

04– परिणामस्वरूप निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 438 बीएनएसएस) अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड के आदेश दिनांक 23.06.2026 की पुष्टि की जाती है ।

पत्रावली फैसल शुमार हो।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01
आबूरोड, जिला सिरोही

05– आदेश आज दिनाँक 13.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–01
आबूरोड, जिला सिरोही

HITESH KUMAR VAISHNAV

Digitally signed by HITESH KUMAR VAISHNAV
Date: 2026.07.14 09:50:58 +0530